न्यायालय सिविल जज, (जू0डि0), बीसलपुर, जिला पीलीभीत।

<u>मूल वाद संख्याः 146 सन् 2019</u>

श्रीमती मुन्नी देवी —बनाम— बृजकिशोर आदि।।

वाद प्रस्तुत करनें का दिनांक : 04.12.2019
वाद का प्रकार : स्थाई निषेधाज्ञा।
अधिवक्ता वादी : श्री ज्ञान गिरि, एड0.
अधिवक्ता प्रतिवादी :

<u>दिनांकः 04.12.2019</u>

आज यह वाद प्रस्तुत हुआ। दर्ज रजिस्टर नं03 है। प्रतिवादीगण को समन जारी हो। पत्रावली वास्ते लिखित कथन दिनांक 06.01.2020 एवं निर्मित किए जाने वाद बिन्दु दिनांक 21.01.2020 को पेश हों।

(अनुपम सिंह)
सिविल जज,(जू0डि0),बीसलपुर,
जिला पीलीभीत।

<u>दिनांकः 04.12.2019</u>

पत्रावली पेश हुई। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6ग पर एक पक्षीय रूप से सुना। प्रतिवादीगण को बिना सुने एक पक्षीय रूप से अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादिनी पैरवी अन्दर सप्ताह करें। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण 6ग दिनांक 19.12.2019 को पेश हो।

(अनुपम सिंह)
सिविल जज,(जू0डि0),बीसलपुर,
जिला पीलीभीत।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 8ग</u>

प्रार्थना पत्र 8ग पर सुना। प्रार्थना पत्र विवादित सम्पत्ति का मानचित्र बनाए जाने हेतु दिया गया है। स्वीकृत। पैरवी अन्दर तीन दिन करें। उपरान्त पैरवी अधिवक्ता कमिश्नर को परवाना जारी हो। अधिवक्ता कमिश्नर प्रार्थना पत्र 8ग के प्रकाश में अपनी आख्या नियत तिथि तक प्रस्तुत करें।

(अनुपम सिंह)
सिविल जज,(जू0डि0),बीसलपुर,
जिला पीलीभीत।